VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

सरकारी योजनाएं

JULY 2015 – APRIL 2016

NOTE: May 2016 and June 2016 current affairs for PT 365 will be updated on our website on second week of July 2016.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION

विषय सूची

A. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय _____ *5*

A.1. स्ट्रीट वेंडर अधिनियम [पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विनियमन) अधिनियमन, 2014] _____ 5

A.2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) _____ 5

A.3. राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन-NULM) _____ 6

B. वित मंत्रालय _____ *7*

B.1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम-NPS) _____ 7

B.2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना _____ 8

B.3. जन सुरक्षा योजना: अटल पेंशन योजना _____ 8

B.4. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना _____ 9

B.5. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना _____ 9

B.6. कृषि कल्याण उपकर – वित मंत्री द्वारा बजट 2016 में प्रस्तावित _____ 10

C. मानव संसाधन विकास मंत्रालय _____ *11*

C.1. मध्याहन भोजन योजना (मिड-डे मील स्कीम) _____ 11

C.2. शिक्षा का अधिकार _____ 11

C.3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) _____ 12

C.4. भारत में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु डिजिटल जेंडर एटलस _____ 12

C.5. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान _____ 13

C.6. अस्मिता (ASMITA) _____ 13

C.7. ईशान विकास एवं ईशान उदय _____ 13

D. ग्रामीण विकास मंत्रालय _____ *15*

D.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI) _____ 15

D.2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) _____ 16

D.3. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(स्टार्टअप विलेज एंट्रेप्रेंयूर्शिप - SVEP) _____ 16

D.4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना _____ 17

D.5. इंदिरा आवास योजना (IAY) _____ 17

D.6. रुर्बन मिशन _____ 18

E. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय _____ *19*

E.1. सर पर मैला ढ़ोने की प्रथा का निषेध और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास संबंधी अधिनियम _____ 19

E.2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) _____ 19

E.3. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) _____ 20

VISION IAS

E.4. सुगम्य भारत अभियान – विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ____ 20

F. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ____ 21

F.1. राष्ट्रीय बाल नीति ____ 21

F.2. एकीकृत बाल विकास सेवायें ____ 21

F.3. लैंगिक बजटिंग योजना ____ 22

F.4. डिजिटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड ____ 22

F.5. सुकन्या समृद्धि योजना - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ____ 22

F.6. उज्जवला योजना ____ 23

F.7. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन/ मिशन पूर्ण शक्ति ____ 23

F.8. प्रियदर्शिनी योजना (मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम) ____ 24

F.9. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना या सबला योजना ____ 24

F.10. कुदुम्बश्री परियोजना - केरल सरकार ____ 25

F.11. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ____ 25

G. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ____ 27

G.1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ____ 27

G.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) ____ 27

G.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ____ 28

G.4. आशा कार्यकर्ता - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा ____ 28

G.5. मिशन इंद्रधनुष ____ 28

G.6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) ____ 29

G.7. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ____ 30

G.8. जननी सुरक्षा योजना ____ 30

G.9. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ____ 31

G.10. मृदा संचारित कृमि (STH) संक्रमण ____ 31

G.11. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) ____ 32

H. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ____ 33

H.1. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ____ 33

H.2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ____ 34

H.3. जीवन प्रमाण- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ____ 34

I. अन्य ____ 35

VISION IAS

I.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ___ 35

I.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ___ 35

I.3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ___ 36

I.4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ___ 37

I.5. वन अधिकार अधिनियम 2006 - जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ___ 37

I.6. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना - श्रम और रोजगार मंत्रालय ___ 38

J. विविध कार्यक्रम ___ 39

J.1. प्रगति (PRAGATI) – PMO ___ 39

J.2. अटल नवोन्मेष मिशन – नीति आयोग ___ 39

J.3. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)- ऊर्जा मंत्रालय ___ 40

J.4. नई मंजिल योजना – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ___ 40

J.5. इंस्पायर (INSPIRE)- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MOS&T) ___ 41

J.6. वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष- वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रस्तावित ___ 41

J.7. प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय ___ 41

J.8. सेतु भारतम – सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ___ 42

J.9. सागरमाला- पोत परिवहन मंत्रालय ___ 42

K. रिपोर्ट / सूचकांक ___ 44

K.1. 'एल्डरली इन इंडिया 2016' - सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट ___ 44

K.2. लैंगिक समता सूचकांक (GPI) ___ 44

K.3. लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) - UNDP ___ 45

K.4. बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI) - UNDP ___ 46

K.5. मानव विकास सूचकांक (HDI) - UNDP ___ 46

VISION IAS

A. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

A.1. स्ट्रीट वेंडर अधिनियम [पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विनियमन) अधिनियमन, 2014]

(Street Vendors Act-Ministry)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं

• आजीविका के अधिकारों की रक्षा
• स्ट्रीट वेंडर्स की सामाजिक सुरक्षा
• बिक्री क्षेत्रों के सीमांकन, उसकी परिस्थिति तथा स्ट्रीट वेंडिंग पर प्रतिबंधों के माध्यम से देश के शहरी स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन
	• सामान्य तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स
	• विशेष तौर पर शहरी आबादी
		• विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के अधीन एक **'क़स्बा बिक्री प्राधिकरण (टाउन वेंडिंग अथॉरिटी-TVC)'** का गठन,
		• TVC **सहभागी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया** को सुनिश्चित करेगा,
		• TVC की सरंचना और संगठन
		  ○ नगरपालिका कमिश्नर, स्ट्रीट वेंडर्स, स्थानीय प्राधिकरण, नियोजन प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस, आवासीय कल्याण संगठन और अन्य व्यापारिक संगठनो के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे।
		  ○ इसमें अधिकारियों एवं गैर-अधिकारियों तथा स्ट्रीट वेंडर्स का प्रतिनिधित्व आवश्यक है| TVC के 40% सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स होंगे जो चुनाव द्वारा चुने जायेंगे।
		  ○ स्ट्रीट वेंडिंग की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले TVC के समक्ष पंजीकरण करवाना होगा।
		• स्थानीय प्राधिकरण नियोजन प्राधिकरण के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार 'स्ट्रीट वेंडिंग प्लान' (पथ बिक्री योजना) का निर्माण करेगा।

A.2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

(Pradhan Mantri Awas Yojana)

PMAY & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के लिए वर्ष 2022 तक आवास मिशन		
उद्देश्य	**अपेक्षित लाभार्थी**	**मुख्य विशेषताएं**
• पूरे देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना • 500 क्लास-1 शहरों पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए पूरे	• गरीब लोग (BPL) और • देश के शहरी भागों में रहने वाले EWS (आर्थिक रूप से	• आवास का स्वामित्व महिला के नाम अथवा उसके पति के साथ संयुक्त रूप से होगा • राज्यों को आवास निर्माण की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमों में

VISION IAS

शहरी क्षेत्र को कवर करना जिसमे 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे	कमजोर समूह) एवं LIG (निम्न आय समूह) श्रेणी के लोग	छूट दी गयी है • स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम (बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम) के तहत प्रति आवास औसतन एक लाख रु. केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा • यह योजना निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी:- **a. चरण-I** (April 2015 - March 2017) - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनके इच्छानुसार चुने गए 100 शहरों को कवर किया जायेगा; **b. चरण - II** (April 2017 - March 2019) - 200 अतिरिक्त शहर कवर किये जायेंगे और **c. चरण-III** (April 2019 - March 2022) शेष सभी शहर कवर किये जायेंगे

A.3. राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन-NULM)

(National Urban Livelihoods Mission)

उद्देश्य	**अपेक्षित लाभार्थी**	**मुख्य विशेषताएं**
• शहरी गरीबी से संबंधित प्राथमिक मुद्दों पर केन्द्रित, जैसे- कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमशीलता विकास के लिए सक्षम करना, शहरी गरीबों को सवैतनिक रोज़गार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना • शहरी बेघरों सहित शहरी गरीबों को चरणबद्ध रूप से आधारभूत सेवाओं से युक्त शरण स्थान उपलब्ध करवाना • शहरी बेघरों सहित शहरी गरीबों की आजीविका संबधित चिंताओ का निवारण करना	• शहरी गरीब ○ स्ट्रीट वेंडर ○ झुग्गीवासी ○ बेघर ○ कूड़ा बीनने वाले • बेरोजगार • नि:शक्तजन	• यह योजना निवर्तमान 'स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार' योजना' का स्थान लेगी • अब NULM का नया नाम **दीन दयाल अन्त्योदय योजना** (DAY) है • शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूह (SHGs) में संगठित करना • शहरी गरीबों को बाजार आधारित रोज़गार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करना • शहरी गरीबों की ऋण तक सरल पहुँच सुनिश्चित कर उन्हें स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करना • सभी राज्यों एवं UTs को शेष सभी 3250 वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों, चाहे उनकी जनसंख्या एक लाख से भी कम क्यों न हो, में DAY-NULM (दीन दयाल अन्त्योदय योजना-नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन) को लागू करने हेतु सक्षम बनाया गया है

B. वित मंत्रालय

B.1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम-NPS)

(National Pension Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• सभी नागरिकों को सेवानिवृति आय प्रदान करना • पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागरिकों में सेवानिवृति संबंधी बचत की आदत डालना	• 18-60 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक • टियर-1 के सभी सरकारी कर्मचारी • सभी नागरिक जैसे- निजी कर्मचारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	• 18 से 60 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक इस योजना से जुड़ सकते हैं • PFRDA द्वारा प्रशासित • अंशदान योजना के रूप में परिभाषित • 3 प्रकार : ○ टियर 1 NPS एकाउंट ○ टियर 2 NPS एकाउंट ○ NPS - स्वावलंबन योजना • सरकार की 'स्वावलंबन योजना NPS लाइट' के सभी वर्तमान सदस्य स्वतः ही 'अटल पेंशन योजना' में स्थानांतरित हो जायेंगे। यह अब स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी। • **साधारण:** NPS के रूप में अकाउंट खुलवाने पर एक 'स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (PRAN)' प्रदान की जाती है, जो कि एक अद्वितीय नंबर है और यह अभिदाता (NPS में योगदान करने वाले) के साथ आजीवन रहेगा। • **वहनीय (पोर्टेबल):** निवर्तमान सभी पेंशन योजनाओं, जिसमें EPFO की योजनाएं भी सम्मिलित हैं, के विपरीत NPS सभी प्रकार के नौकरियों तथा सभी स्थानों पर सीमलेस (निर्बाध) वहनीयता की सुविधा प्रदान करता है। • **लचीला:** NPS निवेश के विविध विकल्प प्रदान करता है एवं पेंशन फण्ड मैनेजर (PFMs) को चुनने का अधिकार प्रदान करता है। • निवेशक समग्र जोखिम को विभिन्न परिसम्पति वर्गों में बांटने के विकल्प को चुन सकते है, जिसे परिसम्पति आवंटन कहा जाता है, (e=समता, c= ऋण जोखिम, सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियां, g= सरकारी प्रतिभूतियां)

VISION IAS

B.2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

(Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवाओं को रोज़गार खोजकर्ता से रोजगार सृजनकर्ता बनाना • ऐसे उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के तहत लाकर तथा उन्हें सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर "गैर-वित्तपोषित को वित्तपोषित" करना। • सूक्ष्म इकाइयों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (MFIs) का विकास एवं उन्हें पुनर्वित प्रदान करना	• कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की योजना हो	• यह एक छोटे ऋणी को गैर-कृषि आय उत्पादक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंको, जैसे- PSU बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोआपरेटिव बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं (MFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), से 10 लाख रु. तक के ऋण लेने हेतु सक्षम बनाती है। • मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक) द्वारा 3 प्रकार के ऋण आवंटित किए जाएंगे - ○ शिशु : 50,000 रु तक के ऋण ○ किशोर : 50,000 से 5 लाख तक के ऋण ○ तरुण : 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण • PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

B.3. जन सुरक्षा योजना: अटल पेंशन योजना

(Jan Suraksha Yojana: Atal Pension Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अंशदाता 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान के आधार पर एक निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा।	• 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। • कोई भी बैंक खाता धारक जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा है, इस योजना से जुड़ सकता है। • सरकार की 'स्वावलंबन योजना NPS लाइट' के सभी वर्तमान सदस्य स्वतः ही 'अटल पेंशन योजना' में स्थानांतरित हो जायेंगे।	• केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र अंशदाता को 5 वर्ष तक उसके कुल अंशदान का 50% अथवा प्रति वर्ष 1000 रु., जो भी कम हो, सह-अंशदान करेगी। • APY से जुड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। • अब यह स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी जो पूरे देश में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पायी थी। • 60 वर्ष की आयु से पूर्व इस योजना से बाहर नहीं निकला जा सकता है। • 16 अप्रैल, 2016 तक 24,05,268 लोग इसके तहत पंजीकृत हो चुके हैं।

VISION IAS

B.4. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(Jan Suraksha Yojana-Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• किसी भी दुर्घटना बीमा के तहत न आने वाली जनसंख्या को 12 रु प्रति वर्ष के अत्यंत सस्ते प्रीमियम वाली इस योजना के तहत कवर करना वस्तुतः इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।	• 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों के लिए उपलब्ध। • जिनके पास बचत बैंक खाता है। • जो 31 मई को या उस से पहले, वार्षिक नवीकरण के आधार पर 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए, इससे जुड़ने और अपने खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा के लिए सहमति देंगे।	• दुर्घटना में मौत एवं स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रु. का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा। • स्थाई आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रु. • कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है। • इस योजना से जुड़ने की प्रारंभिक तिथि अर्थात 1 मई से लेकर PM द्वारा इसके लॉन्च किए जाने की तिथि अर्थात 9 मई तक कुल 4.42 करोड़ लोग PMJJBY के तहत जुड़ चुके थे।

B.5. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(Jan Suraksha Yojana - Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• एक वर्षीय जीवन बीमा योजना • प्रति वर्ष नवीकरण • किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज उपलब्ध कराता है	• 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के लिए उपलब्ध • 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर उपलब्ध होगा • जिनके पास बचत बैंक खाता है, जो इससे जुड़ने और अपने खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा के लिए सहमति देंगे।	• 1 जून 2015 से इससे जुड़े लोगो के जीवन संबंधी जोखिम का कवर प्रारम्भ • 1 जून से 31 मई की अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति सदस्य 330 रु. के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध होगा।

VISION IAS

B.6. कृषि कल्याण उपकर – वित मंत्री द्वारा बजट 2016 में प्रस्तावित

(Krishi Kalyan Cess – Proposed in budget 2016 by FM)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• इस से प्राप्त आय को पूरी तरह से **कृषि सुधार एवं किसान कल्याण** संबंधी पहलों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जायेगा।	• किसान और • कृषि पर आश्रित जनसंख्या	• 1 जून 2016 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर लगाया जाएगा

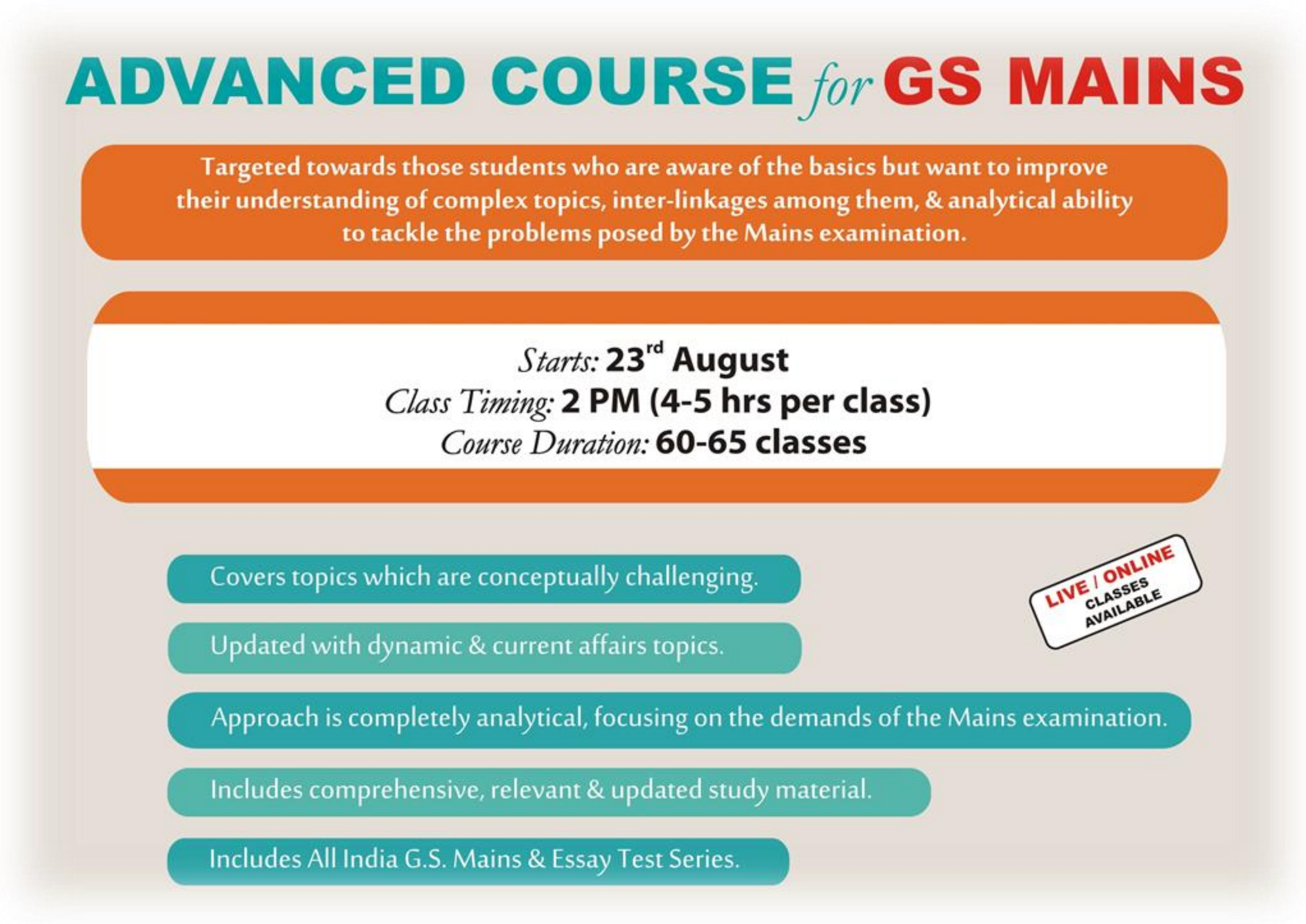

C. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

C.1. मध्याहन भोजन योजना (मिड-डे मील स्कीम)

(Mid-Day Meal Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
1. बच्चों के नामांकन, उन्हें विद्यालय से सम्बद्ध रखे रहने एवं उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए 2. बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाना।	• सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चे • यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के विद्यालयों, शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS) के अधीन आने वाले विद्यालयों और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (AIE) केंद्रों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत सहायता पाने वाले मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों के लिए भी लागू है।	• न्यूनतम 200 दिनों के लिए प्रति दिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन दिये जाने का प्रावधान है। • उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है। • योजना आयोग का अध्ययन : (a) सर्वेक्षण वाले स्कूलों में यह पाया गया कि कक्षा स्तर पर पोषण की कमी (क्लासरूम हंगर) की समस्या को सफलतापूर्वक संबोधित किया गया है। (b) सभी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक साथ भोजन ग्रहण करने का मंच प्रदान करता है जिससे सामाजिक समता का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। • ASER रिपोर्ट के अनुसार रिटेंसन रेट (बच्चों को विद्यालय से सम्बद्ध रखे रहने) में सुधार हुआ है

C.2. शिक्षा का अधिकार

(Right to Education)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश में प्राथमिक शिक्षा का **सार्वभौमीकरण** • प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में **लैंगिक और सामाजिक अंतराल** को कम करना • माध्यमिक, तकनीकी और उच्च स्तर पर शिक्षा के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना	• 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा	• ये बच्चे **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा** के लिए अधिकृत हैं। • RTE **अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए जाने** को सुनिश्चित करता है • देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए इसमें निम्न प्रावधान भी हैं:- ✓ बुनियादी सुविधाओं में सुधार ✓ सरकारी स्कूलों में नए शिक्षक पदों की मंजूरी। ✓ निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं • RTE उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की तर्कसंगत परिनियोजन एवं उचित छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करता है • RTE संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम का विकास सुनिश्चित करता है • RTE निम्न पर प्रतिबंध लगाता है: (क) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट (ग) कैपिटेशन फीस (घ) शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूसन और (ङ) बिना मान्यता के स्कूल चलाना

VISION IAS

C.3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के **नियोजित विकास** के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में **पहुँच, समता और गुणवत्ता** में सुधार करना। • राज्यों के योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक फंडिंग प्रदान करना • राज्य संस्थाओं की **समग्र गुणवत्ता** में सुधार करना	• उच्च शिक्षा या कॉलेज जाने वाले छात्र • राज्य के योग्य उच्च शिक्षण संस्थान।	• सकल नामांकन अनुपात को **वर्तमान 19% से 2020 तक 30%** लाने का लक्ष्य • राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में **परिवर्तनकारी सुधार**: (a) मानदंडों एवं मानकों तथा **मान्यता** को एक अनिवार्य गुणवत्ता निर्धारण फ्रेमवर्क के रूप में अपनाना। (b) राज्य विश्वविद्यालयों में **स्वायत्तता** को बढ़ावा देना और संस्थाओं के शासन में सुधार। (c) संबद्धता (affiliation), शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। (d) गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। (e) **अनुसंधान और नवाचार** में सुधार।

C.4. भारत में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु डिजिटल जेंडर एटलस

(Digital Gender Atlas for Advancing Girl's Education In India)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• विशिष्ट लिंग संबंधी शिक्षा संकेतकों पर आधारित लड़कियों के लिए विपरीत परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करना, विशेष रूप से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए • नि:शक्त (Disable) लड़कियों सहित कमजोर लड़कियों की पहचान करना और उन पर फोकस करना	• वंचित समूहों जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों वर्गों की लड़कियाँ • नि:शक्त लड़कियाँ आदि	• जेंडर एटलस के मुख्य घटक : ○ **मिश्रित जेंडर रैंकिंग** ○ लिंग संकेतकों का ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृत्ति विश्लेषण) ○ शैक्षिक संकेतकों पर आधारित सुभेद्यता • यह एटलस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत है तथा यह राज्यों/जिलों/ब्लॉक शिक्षा प्रशासकों या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए उपलब्ध है। • यह एटलस राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर लिंग संबंधी संकेतकों की प्रत्येक चार माह में रैंकिंग के आधार पर एक तुलनात्मक मिश्रित सूचकांक (कम्पेरेटिव कम्पोजिट इंडेक्स) प्रदान करता है। • यह एटलस एक ट्रेंड एनालिसिस प्रदान करता है और साथ हीं एक निश्चित समयावधि में लिंग संबंधी मापदंडो के आधार पर व्यक्तिगत प्रदर्शन को समझने का अवसर प्रदान करता है। • यह विजुअलाईजेशन वस्तुतः मैप मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (MMIS) तकनीक पर आधारित है, जो मानचित्रों पर आंकड़ो के नवाचारी विजुअलाईजेशन को सक्षम बनाता है।

VISION IAS

C.5. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अन्वेषण और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्कूल आधारित ज्ञान को बाहरी क्षेत्र से जोड़ना तथा विज्ञान एवं गणित सीखने की प्रक्रिया को रोचक एवं अर्थपूर्ण गतिविधि बनाना। • जिज्ञासा, प्रयोग एवं सृजनात्मकता की भावना विकसित करना। • कक्षा से बहार विज्ञान, गणित एवं तकनीक सीखने की क्षमता को बढ़ाना।	• 6-18 आयु वर्ग के छात्र • सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र	• <u>कक्षा के भीतर एवं बाहर की गतिविधियाँ</u> • अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान, छात्र भ्रमण, प्रदर्शनी, आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु विभिन्न संस्थानों जैसे IITs/ IIMs/ IISERs एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना।

C.6. अस्मिता (ASMITA)

(All School Monitoring Individual Tracing Analysis)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश के लगभग 15 लाख निजी एवं सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लगभग 25 करोड़ छात्रों की शैक्षणिक यात्रा की निगरानी करना। • अस्मिता मिड-डे मील योजना में भ्रष्टाचार एवं लीकेज पर निगरानी रखने में भी सहायक होगा।	• इन्क्रिज्ड लर्निंग आउटकम से लाभान्वित हुए स्कूली छात्र • भ्रष्टाचार में कमी से सरकार भी लाभान्वित होगी	• <u>शाला अस्मिता योजना</u> (SAY) के तहत प्रारंभ • अस्मिता एक ऑनलाइन डेटाबेस होगा जिसमें छात्रों की उपस्थिति एवं नामांकन, लर्निंग आउटकम, मिड-डे मील सेवा तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख होगा। • छात्रों को उनके आधार नंबर के द्वारा ट्रैक किया जाएगा एवं जिनके पास ये यूनिक नंबर नहीं है उन्हें यह प्रदान किया जायेगा। • इस कार्यक्रम की सफलता राज्यों की भागीदारी पर निर्भर करती है क्योंकि स्थानीय प्राधिकरण ही ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में दैनिक आधार पर सूचनाएं अपडेट करेंगे।

C.7. ईशान विकास एवं ईशान उदय

(Ishan Vikas and Ishan Uday)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• ईशान उदय – दस हजार नई छात्रवृतियाँ • ईशान विकास – उत्तर पूर्वी भारत से	• उत्तर पूर्व के आठों राज्यों के कॉलेज जाने वाले छात्र	• ईशान उदय – छात्रवृतियाँ सामान्य डिग्री कोर्स, तकनीकी एवं मेडिकल व पैरा-मेडिकल कोर्स सहित प्रोफेशनल कोर्स हेतु

VISION IAS

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में इन्टर्नशिप के लिए चयन • कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के छात्रों का 22 प्रतिष्ठित संस्थानों में भ्रमण		दी जाएगी। • उच्च शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (RUSA) चल रहा है, जो ईशान योजना को भी सहयोग प्रदान करेगा। • ईशान विकास छात्रों को देश के प्रीमियर संस्थानों जैसे- IITs, NITs एवं IISERs से अवगत कराएगा।

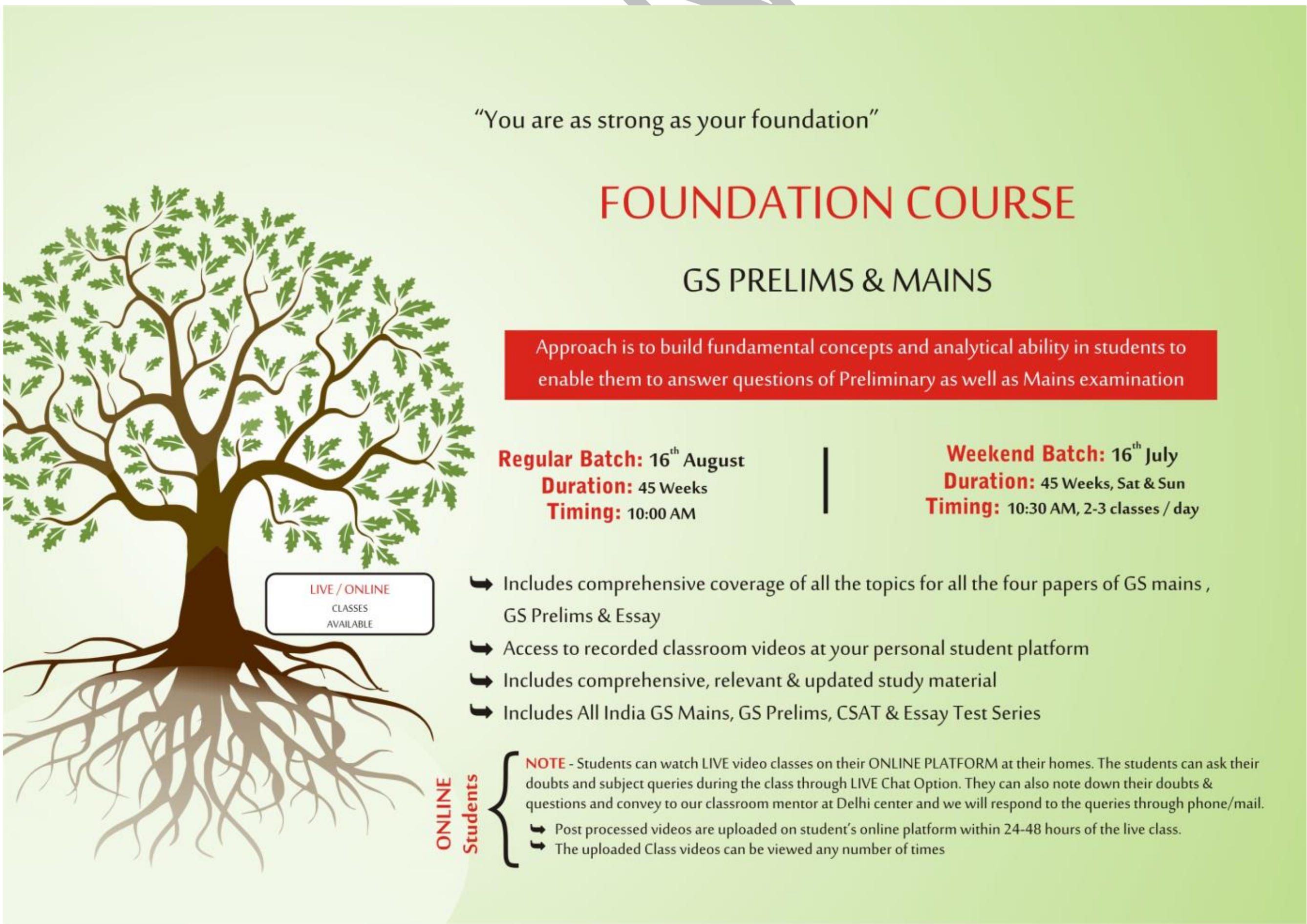

D. ग्रामीण विकास मंत्रालय

D.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI)

(Saansad Adarsh Gram Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक संसद सदस्य (MP) द्वारा मार्च, 2019 तक 3 आदर्श ग्रामों (मॉडल ग्राम) का विकास, जिसमें से एक गाँव का विकास वर्ष 2016 तक पूर्ण करना होगा। • इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष एक गाँव का चयन करते हुए वर्ष 2024 तक कुल 5 आदर्श गाँवों का विकास करना।	• विशेष रूप से आदर्श ग्राम/मॉडल ग्राम के निवासी • और सामान्य रूप से समस्त ग्रामीण जनसंख्या	• संसद सदस्य इस योजना के मुख्य कार्यकर्ता हैं और बने रहेंगे तथा ग्राम पंचायत इस योजना के विकास की आधारभूत इकाई होगी। मैदानी भागो में इसकी जनसंख्या 3000-5000 एवं पहाड़ी, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होनी चाहिए। • MP को एक ग्राम पंचायत का चुनाव तुरंत करना होगा जबकि 2 अन्य का चुनाव वे कुछ अन्तराल के बाद कर सकते हैं। • महात्मा गांधी के सिद्धान्तों एवं मूल्यों से प्रेरित यह योजना एक समान रूप से निम्न पर बल देती है : ○ राष्ट्रीय गर्व एवं देशभक्ति की भावना का विकास ○ समुदाय की भावना, आत्मविश्वास और ○ अवसंरचना का विकास • SAANJHI कुछ निश्चित मूल्यों के विकास पर केन्द्रित है, जैसे- ○ लोगों की भागीदारी, ○ अन्त्योदय, ○ लैंगिक समता, महिलाओं का सम्मान ○ सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना ○ स्वच्छता, इको-फ्रेंडलीनेस, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना ○ शान्ति एवं सौहार्द्र, आपसी सहयोग, ○ आत्म-निर्भरता, स्थानीय स्व-शासन ○ गाँवों एवं उनके निवासियों के सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, जिससे वह दूसरों के लिए मॉडल बन सकें। • यह योजना ग्राम विकास योजना के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जो हर चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार की जाएगी।

VISION IAS

D.2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)

(Backward Region Grant Fund)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• पिछड़े राज्यों में पहले से जारी विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराकर क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया, जिससे निम्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके - • मौजूदा विकास कार्यक्रमों और स्थानीय संरचना के बीच जटिल अंतर को समाप्त करना। • स्थानीय लोगों की जरूरतों को प्रतिबिम्बित करने के लिए उपयुक्त क्षमता निर्माण के साथ पंचायतों और नगर निकायों को सशक्त करना, सहभागी योजनाओं को आसान बनाना, निर्णय लेना, क्रियान्वयन और निगरानी।	• पिछड़े गाँव • पंचायती राज संस्थान	• BRGF विकास अनुदान ○ किसी भी पंचायत और नगर निकाय में लोगों की सहभागिता से होने वाले कार्यों की पहचान और विकास के अंतर को पाटने के लिए धन का जितना खुला (untied) और सरल इस्तेमाल इस योजना के द्वारा हो सकता है, उतना और किसी योजना के द्वारा नहीं। • इसके तहत योजना को ऊपर से नीचे की बजाए जमीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने की पद्धति पर तैयार किया किया गया है। • इसके दिशा-निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, शहरी क्षेत्रों में नगर-पालिका और जिला स्तर पर जिला योजना समितियों को योजना बनाने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय भूमिका प्रदान करते हैं। • **BRGF क्षमता निर्माण अनुदान:** क्षमता निर्माण और कर्मचारियों के प्रावधान (स्टाफ प्रोविजनिंग) के लिए कुल आवंटन का 11 प्रतिशत धन इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हेतु इतना व्यय किसी और योजना में नहीं होता है।

D.3. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(स्टार्टअप विलेज एंट्रेप्रेंयूर्शिप - SVEP)

(Startup Village Entrepreneurship Programme)

SVEP का क्रियान्वयन NRLM के तहत होना है:

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• सतत आजीविका के विकास हेतु ग्रामीण लोगों द्वारा स्वयं के उद्यम प्रारंभ करने संबंधी माहौल का सृजन करना • चार साल की अवधि में 14 राज्यों के 40 प्रखंडों में 1.82 लाख उद्यमियों को प्रोत्साहन देना	• ग्रामीण उद्यमी	• इस कार्यक्रम की लागत अनुमानतः 72 मिलियन डॉलर (484 करोड़ रु) है • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की तर्ज पर इसे प्रारम्भ किया जाएगा • <u>स्वरोजगार के द्वारा आजीविका के अवसर</u> पैदा करना • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत यह एक उप-योजना होगी • उद्यम शुरू करने के लिए <u>स्वंय सहायता समूहों</u> के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जायेंगे

D.4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना	• सभी अधिवासीय (बसावट) क्षेत्र जिनमें मैदानी भागों के 500 या अधिक एवं पहाड़ी राज्यों, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र शामिल हैं	• पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है • 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारम्भ • इस योजना के लिए हाई स्पीड डीजल पर उपकर में से 75 पैसे प्रति लीटर निर्धारित है • अपग्रेडेशन कार्य इस योजना का केंद्रबिंदु नहीं है • इस कार्यक्रम की इकाई बसावट (हैबिटेशन) है न कि राजस्व ग्राम

D.5. इंदिरा आवास योजना (IAY)

(Indira Awaas Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• IAY का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण गरीबों को एक घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है	• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर-अनुसूचित जाति एवं गैर- अनुसूचित जनजाति, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मुक्त बंधुआ मजदूर और अल्पसंख्यक समूह के ग्रामीण BPL परिवार वस्तुतः IAY के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं|	• इंदिरा आवास योजना की शुरुआत वस्तुतः जून, 1985 में RLEGP की एक उप-योजना के रूप में की गयी थी • 1 जनवरी 1996 को इस योजना को एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया • इंदिरा आवास योजना की फंडिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, इंदिरा आवास योजना की पूरी निधि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है। • अप्रैल 2010 मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रु. प्रति आवास तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. प्रति आवास • सभी क्षेत्रों में अनुपयोगी कच्चे घरों को पक्का/अर्ध पक्का घर के रूप में उन्नयन के लिए (प्रति घर) 15,000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है • प्रति आवास 12,500 रूपये की सहायता राशि क्रेडिट-सह-सब्सिडी योजना के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

VISION IAS

D.6. रुर्बन मिशन

(Rurban Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश भर में वर्ष 2019-20 तक 300 स्मार्ट गांवों के एक क्लस्टर के विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना • नागरिक सेवा केन्द्र उपलब्ध करवाना जिनके माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और ई-ग्राम कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, कृषि प्रसंस्करण, भण्डारण सहित कृषि सेवाएं, स्वच्छता, नल-जल आपूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा उन्नयन की सुविधा उपलब्ध हो सके	• 25000 - 50000 की जनसंख्या वाले तटीय एवं मैदानी गाँव • 5000 - 15000 की जनसंख्या वाले पहाड़ी, मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्र	• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (SPMRM) ने PURA का स्थान ग्रहण किया है • केंद्रीय बजट 2014-15 में SPMRM की घोषणा की गई थी • **स्मार्ट ग्राम** = एक ऐसा क्षेत्र जो वस्तुतः शहरी क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं और जीवन शैली के सन्निकट होता है, परंतु अपनी आवश्यक ग्रामीण क्षेत्र संबंधी विशेषताओं को बनाए रखता है • राज्य सरकार इन 'क्लस्टरों' की पहचान करेगी • इन क्लस्टरों का विकास मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों, कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता के प्रावधान एवं अवसरंचनात्मक सुविधाएँ प्रदत्त करके किया जाएगा • इस प्रकार, रुर्बन मिशन वस्तुतः स्मार्ट गाँवों का एक क्लस्टर विकसित करेगा • इन क्लस्टरों के सर्वोत्कृष्ट स्तरीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का संचालन 14 अनिवार्य घटकों के साथ किया जाएगा, जिनमें सम्मिलित हैं:- आर्थिक गतिविधयों से संबधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, सभी उपकरणों से लैश मोबाइल हेल्थ यूनिट और गाँवों के बीच कनेक्टिविटी • ऐसे रुर्बन क्लस्टरों की फंडिंग इन क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम किया जाएगा, हालांकि PPP इस हेतु पसंदीदा माध्यम होगा

क्लस्टर = (मैदानी एवं तटीय भागो में 25000 से 50000 तथा मरुस्थलीय, पहाड़ी एवं जनजतीय क्षेत्रों में 5000 से 15000 जनसंख्या वाली भौगोलिक दृष्टि से निकटवर्ती ग्राम पंचायतें)

VISION IAS

E. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

E.1. सर पर मैला ढ़ोने की प्रथा का निषेध और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास संबंधी अधिनियम

(Manual Scavenging Act)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अस्वच्छ शौचालयों को हटाना • निषेध: - ○ मैला ढोने वालों का नियोजन ○ सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से जोखिमपूर्ण सफाई • सर पर मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण और उनका पुनर्वास	• सफाई कर्मचारी • सैनिटेशन से जुड़े बेहतर प्रथाओं को अपनाने के फलस्वरूप आम जनता को स्वास्थ्य लाभ	• सर पर मैला ढोने की प्रथा तथा अस्वच्छ शौचालयों की परिभाषा को विस्तृत कर इसमें न केवल सूखे शौचालयों बल्कि अन्य अस्वच्छ शौचालयों को भी शामिल किया गया है। • अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराध संज्ञेय और गैर जमानती प्रकृति के हैं और साथ ही कठोर दंड का भी प्रावधान सम्मिलित है। • केंद्र, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर सतर्कता/निगरानी समिति। • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करेगा। • खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए, अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्वच्छ समुदायिक शौचालयों के निर्माण का प्रावधान।

E.2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

(National Commission For Safai Karamcharis)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना • अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना, और संबंधित प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों से अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिश करना	• सफाई कर्मचारी • सैनिटेशन से जुड़े बेहतर प्रथाओं को अपनाने के फलस्वरूप आम जनता को स्वास्थ्य लाभ	• यह 'कैंप' दृष्टिकोण का अनुसरण करता है • आयोग अधिनियम के कार्यान्वित नहीं होने से जुड़े मामले का स्वत: संज्ञान ले सकता है। • अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को सुझाव देता है। • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, चिन्हित मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए नोडल एजेंसी है।

VISION IAS

E.3. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS)

(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल माहौल का सृजन करना। • **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर और अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1995** के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।	"विकलांगता" में निम्न शामिल हैं: • दृष्टिहीनता; • अल्प दृष्टि; • उपचारित कुष्ठ रोग; • श्रवण बाधित; • लोको मोटर विकलांगता; • मानसिक मंदता; • मानसिक बीमारी;	• स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना: माता-पिता/अभिभावक और स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। • विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराना। • दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। जिसमें शामिल है: ○ शीघ्र हस्तक्षेप ○ दैनिक जीवन संबंधी कौशल का विकास और शिक्षा ○ रोजगारोन्मुख कौशल-विकास ○ प्रशिक्षण और जागरूकता पैदा करना

E.4. सुगम्य भारत अभियान – विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग

(Sugamya Bharat Abhiyan- Department Of Empowerment Of Persons With Disabilities)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान	"विकलांगता" में निम्न शामिल हैं: • दृष्टिहीनता; • अल्प दृष्टि; • उपचारित कुष्ठ रोग; • श्रवण बाधित; • लोको मोटर विकलांगता; • मानसिक मंदता; • मानसिक बीमारी	• **भाग एक: भवन सुगमता** ○ एक सुगम्य सरकारी इमारत वह है, जहाँ विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश करने और उसके सभी सुविधाओं का उपयोग करने में कोई बाधा न हो। • **भाग दो: परिवहन प्रणाली सुगमता** ○ सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, घरेलू हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों का सुगम्यता ऑडिट कराना। • **भाग तीन: सूचना और संचार ईको प्रणाली सुगम्यता** ○ सार्वजनिक टेलिविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और संकेत भाषा व्याख्या के अनुपात को बढ़ाना। ○ राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकारियों के परामर्श से कैप्श्निग और संकेत भाषा व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों का विकास तथा उसे अपनाना। ○ "सुगम्य पुलिस थाना", "सुगम्य अस्पताल", "सुगम्य पर्यटन", और "सुगम्य डिजिटल इंडिया" आदि के क्षेत्र में सहयोग • सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संगठनों को, सुगम्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

VISION IAS

F. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

F.1. राष्ट्रीय बाल नीति

(National Policy for Children)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं

• बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना।
• विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों में बच्चों के लिए किये गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करना।
	• नीति में अठारह साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है और देश और देश के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है।	• बचपन को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है, जिसका अपना स्वयं का एक मूल्य है।
		• इसमें माना गया है कि बच्चे एक समरूप समूह नहीं हैं और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को विभिन्न प्रतिक्रिया की जरूरत है, और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दृष्टिकोण को बहु-क्षेत्रीय और बहुआयामी होना चाहिए।
		• बच्चों के लिए बहु-क्षेत्रीय, परस्पर जुड़ी और सामूहिक कार्रवाई की जरुरत है, इसलिए इस नीति का उद्देश्य प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों में उद्देश्यपूर्ण अभिसरण (कन्वर्जेन्स) एवं सशक्त समन्वय करना है।
		• नीति ने चार प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है:
		  ○ जीवन रक्षा,
		  ○ स्वास्थ्य और पोषण;
		  ○ शिक्षा और विकास;
		  ○ संरक्षण और भागीदारी।

F.2. एकीकृत बाल विकास सेवायें

(Integrated Child Development Services)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं

• बच्चे का समग्र विकास
• छोटे बच्चों में अल्प पोषण (0-3 वर्ष के सामान्य से कम वजन के बच्चे) की समस्या को रोकना और इसे 10 प्रतिशत अंकों तक कम करना
• 0-6 साल के सभी बच्चों के विकास और सीखने के परिणामों (लर्निंग आउटकम) को बढ़ाना
• लड़कियों और महिलाओं की देखभाल और पोषण में सुधार लाना
• 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक छोटे बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की व्यापकता को 20 प्रतिशत तक कम करना।
	• छह वर्ष से कम आयु के बच्चे,
	• गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलायें।
		• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है
		• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक की उनके ही गांव में नियुक्ति
		• छह सेवाओं का पैकेज
		  ○ पूरक पोषण (SNP)
		  ○ स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
		  ○ स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
		  ○ टीकाकरण
		  ○ स्वास्थ्य जांच सेवाएँ
		• लाभार्थियों को रेफरल सेवाएँ
		• पालना-घर (creche)- सह- प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और आंगनवाडी-सह-काउंसलर

VISION IAS

F.3. लैंगिक बजटिंग योजना

(Gender Budgeting Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• पुरुषों के समान महिलाओं तक विकास के लाभ की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना	• महिलाएं	• एक एकीकृत दृष्टिकोण को शुरू करने और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा स्थापित लैंगिक बजटिंग प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन के लिए लैंगिक बजटिंग की अवधारणा, उपकरण और रणनीति का प्रसार करना • कार्यशालाओं का आयोजन करना, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना • इस योजना के तहत अनुदान में निम्न शामिल हैं: 1. अनुसंधान और प्रलेखन के लिए अनुदान 2. प्रशिक्षण के लिए अनुदान 3. सतत और संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए अनुदान

F.4. डिजिटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड

(Digitial Gudda Guddi Board)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के बारे में सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री का प्रसार करना। • मासिक जन्म आंकड़ों को अपडेट करना • समाज को संवेदनशील बनाना	• सामान्य रूप से महिलायें • बालिकाएं, विशेष रूप से बालिका शिशु	• डिजिटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड महाराष्ट्र के जलगांव जिले में विकसित नया विचार है। • डिजिटल बोर्ड में सूचना के प्रसार के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री और फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। • इस बोर्ड को मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला स्तर कार्यालयों, जिला पंचायत कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों समेत राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालयों में लगाया गया है। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही लगी रहती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 जुलाई 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डिजिटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड को एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अपनाया।

F.5. सुकन्या समृद्धि योजना - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय

(Sukanya Samruddhi Yojana – Ministry Of Women And Child Development And Ministry Of Finance)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• माता-पिता को अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलवाने और और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी बचत का अधिकतम जमा कराने के लिए प्रेरित करना	• 10 साल से कम उम्र की बालिकायें	• एक छोटी बचत योजना • सुकन्या समृद्धि खाता- इसके माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और शादी के खर्च की परेशानी दूर होगी। • बालिका के दस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने

• लड़कियों की उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करना		तक, माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। • बालिका 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 50% पैसा वापस निकाल सकती है, जैसे उच्च शिक्षा के लिए। • 18 वर्ष की समय सीमा होने से बाल-विवाह को रोकने में भी मदद मिलेगी। • ब्याज दर: 9.1% सालाना चक्रवृद्धि। इस वर्ष के लिए कोई आय कर नहीं। • खाता पोस्ट ऑफिस या वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से खोला जा सकता है। बालिका के 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक खाता चालू रहेगा।

F.6. उज्जवला योजना

(Ujjawala scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• तस्करी की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास, एकीकरण और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों की स्वदेश वापसी के लिए व्यापक योजना	• वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार	• पुनर्वास केन्द्रों को आश्रय और निम्न बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है: ○ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, ○ पीड़ित बच्चों के मामले में शिक्षा, ○ पीड़ितों को आजीविका के विकल्प प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियां

F.7. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन/ मिशन पूर्ण शक्ति

(National Mission For Empowerment Of Women (NMEW)/ Mission Poorna Shakti)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। • महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उत्तरोत्तर उन्मूलन सुनिश्चित करना। • स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देने के साथ महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।	• महिलाएं • महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण जनता • बच्चे और लड़कियां : महिलाओं को बेहतर	• मिशन का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के तत्वावधान में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के लिए एक एकल खिड़की सेवा उपलब्ध कराना है • प्रत्येक गाँव में पूर्ण शक्ति केंद्र • पूर्ण शक्ति केंद्रों पर समन्वयक “हम सुनेंगे नारी की बात” के नारे के साथ महिलाओं तक पहुँच

VISION IAS

• कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थागत व्यवस्था और भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थाओं और संगठनों की प्रक्रियाओं में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना। • विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले लाभों की प्राप्ति के लिए के लिए अपेक्षित लाभार्थीयों में जागरूकता पैदा करना	सेवाओं की वजह से	बनायेंगे • योजनाओं के अंतर-क्षेत्र अभिसरण को सुगम बनाने के लिए अभिसरण मॉडल का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। • अनुसंधान गतिविधियां प्रारम्भ करना, संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना, सूक्ष्म ऋण और कौशल विकास के माध्यम से लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना

F.8. प्रियदर्शिनी योजना (मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम)

(Priyadarshini (Women's Empowerment and Livelihoods Programme in the Mid Gangetic Plains) Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• आजीविका में वृद्धि • 7200 स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से 108000 गरीब महिलाओं और किशोरियों के समग्र सशक्तिकरण की परिकल्पना • क्षमता निर्माण के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक, कानूनी और स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना	• महिलायें • महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण जनता • बच्चे और लड़कियां → महिलाओं को बेहतर सेवाओं की वजह से	• उत्तर प्रदेश और बिहार में 4745 स्वयं सहायता समूह गठित किये गए हैं • सामुदायिक सेवा केन्द्र (CSCs) • राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है • आय अर्जन और संबंधित गतिविधियों, उत्पादों के विपणन और सामाजिक मुद्दों आदि जैसे विषयों पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण • महिला उद्यमियों को वित्तीय कार्यों के लिए, उदार शर्तों और रियायती ब्याज दर पर व्यापक ऋण सेवाओं की पेशकश की गयी है

F.9. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना या सबला योजना

(Rajiv Gandhi Scheme For Empowerment Of Adolescent Girls (RGSEAG) or SABLA)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• आत्म विकास और सशक्तिकरण के लिए किशोरियों को सक्षम बनाना • उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। • स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ARSH) और परिवार एवं बच्चे की देखभाल	• किशोरियाँ (सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 200 जिलों में सभी समेकित बाल विकास योजनाओं के तहत सम्मिलित 11-18 साल की लडकियाँ)	• पोषण प्रावधान • आयरन और फोलिक एसिड पूरकता • स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं • पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा • परिवार कल्याण, ARSH, बच्चे की देखभाल और घर प्रबंधन पर मार्गदर्शन/परामर्श

VISION IAS

के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। • किशोरियों को शिक्षा, कौशल प्रदान करना और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना।		• घर आधारित कौशल और जीवन कौशल का उन्नयन और व्यावसायिक कौशल के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ एकीकरण। • स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना। • मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन, आदि के बारे में जानकारी / मार्गदर्शन प्रदान करना

F.10. कुदुम्बश्री परियोजना - केरल सरकार

(Kudumbashree Project - Government Of Kerala)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• स्थानीय स्वशासन के नेतृत्व में ठोस सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से केरल राज्य से ग़रीबी उन्मूलन • महिलाओं के माध्यम से परिवार तक और परिवार के माध्यम से समुदाय तक पहुँच बनाना कुदुम्बश्री का मुख्य लक्ष्य है।	• महिलायें • महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण जनता • बच्चे और लड़कियां → महिलाओं को बेहतर सेवाओं की वजह से	• कुदुम्बश्री के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं: ○ माइक्रोक्रेडिट ○ उद्यमिता और ○ सशक्तिकरण • **कुदुम्बश्री की अनोखी त्रिस्तरीय संरचना:** कुदुम्बश्री का आधार पड़ोसी समूह (NHG) हैं जो वार्ड स्तर की क्षेत्रीय विकास सोसाइटी (ADS)तक प्रतिनिधियों को भेजते हैं, क्षेत्रीय विकास सोसाइटी अपने प्रतिनिधियों को सामुदायिक विकास सोसाइटी (CDS)भेजती हैं • गरीबी को पैसे के अभाव के साथ ही बुनियादी अधिकारों के अभाव के रूप में भी देखा जाता है। • महिला समूहों का गठन • **कौशल उन्नयन प्रशिक्षण:** आर्थिक विकास सुगम बनाने के लिए महिलाओं को उपयुक्त कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। • बचत-ऋण गतिविधि और 24 घंटे बैंकिंग प्रणाली

F.11. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

(Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अल्पकालीन आय सहायता • पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान सहित इष्टतम पोषण और आहार देने के तौर-तरीकों का पालन	• 53 चुनिंदा जिलों में 19 साल या ज्यादा उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले दो	• **सशर्त नकदी हस्तांतरण** (CCT)- निश्चित स्वास्थ्य और पोषण शर्तों को पूरा करने पर नकद प्रोत्साहन

VISION IAS

करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना • गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त तौर-तरीकों, देखरेख और संस्थागत सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।	जीवित बच्चों के जन्म के लिए	• **सशर्त मातृत्व लाभ** (CMB): गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए नकद प्रोत्साहन। • लाभार्थियों को बैंक खातों या डाकघर खातों के माध्यम से 6000 रूपए का भुगतान दो किश्तों में किया जाता है। • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वेतन के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति (बच्चे के प्रसव से पूर्व और प्रसव उपरांत दोनों स्थितियों में)।

VISION IAS

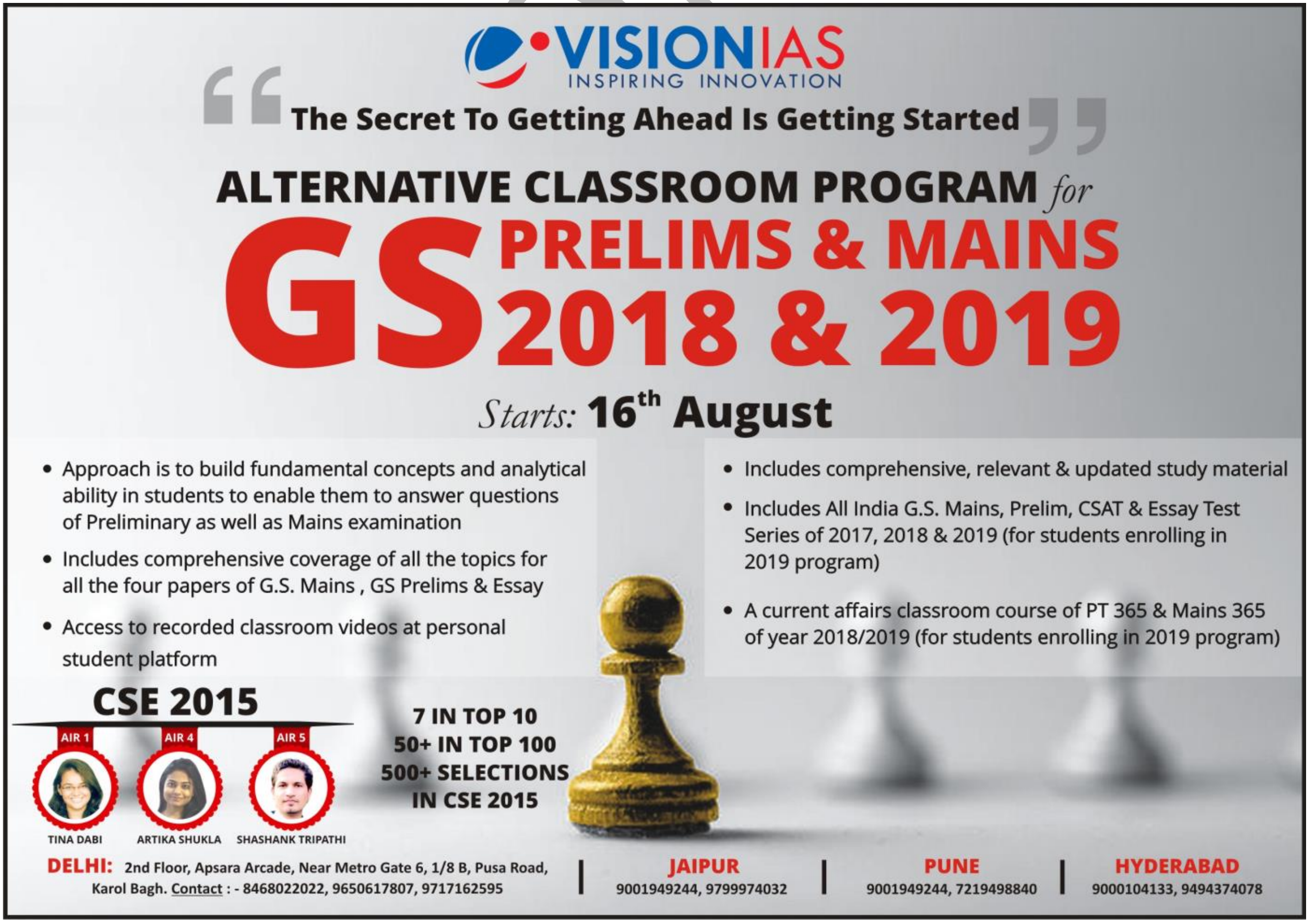

G. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

G.1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(National Rural Health Mission)

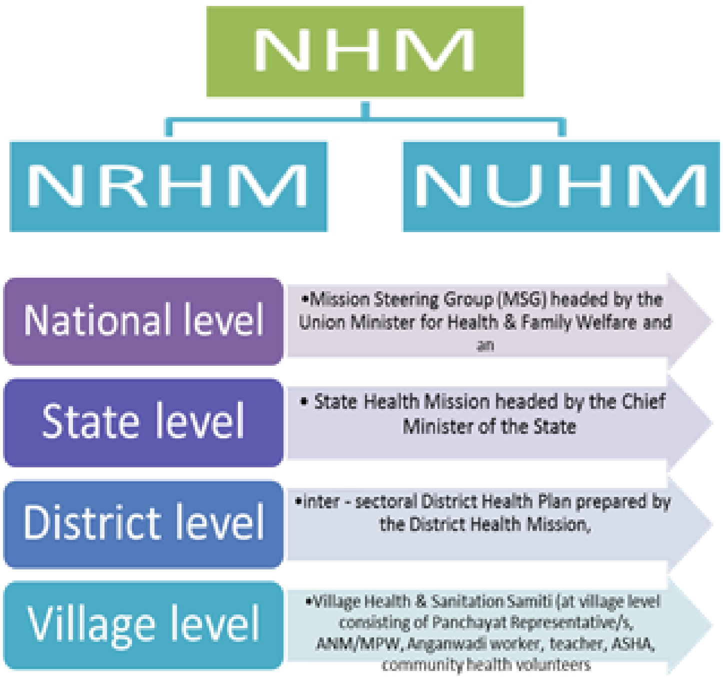

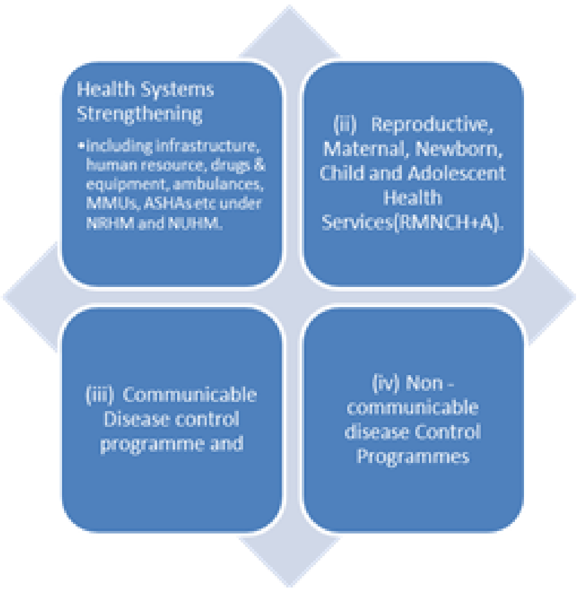

Components of NRHM

G.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)

(National Rural Health Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। • सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए। • सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण(inter-sectoral convergence) के साथ एक पूरी तरह कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना • पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना	• नवजात बच्चे • शिशु • बच्चे • किशोर • मातायें • आम जनता	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत के पहल:** • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) • जननी सुरक्षा योजना • मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम • माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड • नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा • जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र • स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुन: जीवित करके आयुष को मुख्य धारा में लाना • मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) को मजबूत बनाना और इनमें 30 से 50 बिस्तरों (बेड) का प्रावधान • गैर लाभ क्षेत्र को बढ़ावा देना

G.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(National Urban Health Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
▪ आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें उपलब्ध कराकर शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना ▪ उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च को कम करना	• नवजात बच्चे • शिशु • बच्चे • किशोर • मातायें • आम जनता	• आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली • समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी • जिला स्वास्थ्य कार्य योजना • सभी राज्यों के लिए केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न 75:25 रहेगा और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 रहेगा।

G.4. आशा कार्यकर्ता - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा

(Accredited Social Health Activist (ASHA) – Part of NRHM)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना • अपने गांव के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी का एक स्रोत होना। • ग्रामीणों और माताओं के लिए टीकाकरण, प्रसव-पूर्व जांच, प्रसव के बाद जांच, पूरक पोषण, स्वच्छता आदि सुलभ बनाना	• नवजात बच्चे • शिशु • बच्चे • किशोर • मातायें • आम जनता	• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य हर गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) प्रदान करना है। • आबादी के वंचित वर्ग (विशेष रूप से महिलायें और बच्चे), जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में मुश्किल आती है किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित जरुरत के लिए सबसे पहले आशा कार्यकर्ता के पास जायेंगे। • वे स्वस्थ स्वास्थ्य तौर-तरीकों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करेंगी। • ये समुदाय को स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसेकि पोषण, बुनियादी स्वच्छता एवं स्वच्छ प्रथाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगी।

G.5. मिशन इंद्रधनुष

(Mission Indradhanush)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• वर्ष 2020 तक सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। टीकाकरण स्तर को वर्तमान के 65% से 90% तक लाना।	• दो साल से कम आयु के सभी बच्चे • गर्भवती महिलायें	• "सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम" के तहत सभी टीके मुफ्त में उपलब्ध हैं। • इन्द्रधनुष मिशन के तहत निम्नलिखित 7 टीका निवारणीय रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है - डिप्थीरिया,

VISION IAS

• गर्भवती महिलायें और दो साल से कम आयु के सभी बच्चों का सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूरी तरह से टीकाकरण।		काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस-बी। • जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए "कैच अप" अभियान। • मिशन के पहले चरण में उन 201 जिलों को लक्षित किया गया है जहाँ आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है।

G.6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

(Rashtriya Swasthya Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक नेटवर्क के संबंध में विविधता की पहचान करना। • स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न राज्यों के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरूआत करना है।	• गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार जिनकी जानकारी राज्यों की जिला BPL सूची में शामिल है और जिन्होंने इस योजना के लिए नामांकन किया है	• BPL परिवारों के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना। • आईटी एवं स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस (नकदी रहित) स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि 30,000/- रुपए निर्धारित है। • अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कुछ परिवर्तन कर इसे श्रमेव जयते से जोड़ा गया और लाभार्थी के बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया। • आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने के लिए एकल केंद्रीय स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन में जोड़ा जायेगा: (सार्वभौमिक बीमा, स्वास्थ्य गारंटी की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है)

- अतिरिक्त कवरेज का भुगतान करके राज्य दोनों में अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय एक आईटी मंच विकसित करने के बारे में विचार कर रहा है, जहां न सिर्फ इस मंत्रालय की बल्कि अन्य मंत्रालयों की स्वास्थ्य संबंधित योजनायें एक ही मंच और एकल पंजीकरण प्रणाली से प्रबंधित की जा सकेंगी। उदाहरण के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जननी शिशु सुरक्षा योजना। इससे दोहराव और संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकेगा।

VISION IAS

G.7. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

[Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• जन्मजात विकृतियों, बाल रोग, कमियों के लक्षणों और विकलांगताओं सहित विकास संबंधी देरी के लिए स्वास्थ्य परीक्षण • (4 D - defects at birth, diseases, deficiencies and development delays) • उचित बाल स्वास्थ्य, बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार।	• ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष के आयु समूह तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। • 18 साल तक के बच्चे जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्र/छात्रा हैं। • चरणबद्ध तरीके से करीब 27 करोड़ बच्चों तक पहुँच और उन्हें लाभ।	• यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहल (NRHM के तहत बच्चे की स्वास्थ्य जांच और शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं) का भाग है। • बीमार बच्चों को तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ। • जन्मजात विकृतियों के लिए आशा कार्यकर्ता द्वारा समुदाय आधारित शिशु जाँच (शिशु की उम्र: 0-6 सप्ताह) • 6 सप्ताह से 18 वर्षों तक, चालित (मोबाइल) स्वास्थ्य टीमों {जिसमें दो आयुष डॉक्टर (एक पुरुष और एक महिला), एक नर्स और एक फार्मासिस्ट शामिल होंगे} द्वारा जांच

G.8. जननी सुरक्षा योजना

(Janani Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के RMNCHA+ का भाग • नवजात शिशुओं को गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं और मौतों से बचाना।	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• पात्र गर्भवती महिलायें सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर नकद सहायता की हकदार हैं। भले ही माँ की उम्र और बच्चों की संख्या कुछ भी हो। • खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ गरीब गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। • गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन।

खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य = कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर।

VISION IAS

G.9. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

(Janani Shishu Suraksha Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• संस्थागत प्रसव में ज्यादा खर्च की समस्या को कम करना, जो गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है। • गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• इस योजना के अंतर्गत **मुफ्त सेवा प्रदान करने** पर बल दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा रूग्ण नवजात शिशुओं को खर्चों से मुक्त रखा गया है। • **मुफ्त प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों एवं सी-सेक्शन के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। • इसमें घर से केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त यातायात सुविधा प्रदान की जाती है। • यह जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करता है।

G.10. मृदा संचारित कृमि (STH) संक्रमण

(Soil Transmitted Helminthes (STH) Infections)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
○ मृदा संचारित कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए निवेश को प्राथमिकता देना ○ मृदा संचारित कृमि संक्रमण के सबसे प्रभावी और कम लागत वाले उपचार के बारे में जन जागरूकता पैदा करना	• बच्चों पर विशेष ध्यान	• केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस का शुभारंभ किया • Albendazole दवाएं देना • साफ-सफाई, स्वच्छता, शौचालय का उपयोग, जूते/चप्पल पहनना, हाथ धोने जैसे तौर-तरीकों में परिवर्तन • डीवॉर्मिंग पहल 277 जिलों में लागू की गयी थी और राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस 2015 के लिए 9.49 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया था • भारत अब राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस 2016 पूरे देश में लागू कर रहा है और इसका लक्ष्य देश के 536 जिलों के 27 करोड़ बच्चे हैं।

VISION IAS

G.11. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

(Rashtriya Arogya Nidhi)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना • किसी भी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करना।	• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीज़	• राष्ट्रीय आरोग्य निधि में सहायता सीधे मरीज को प्रदान नहीं की जाती, बल्कि अस्पताल अधीक्षक को दी जाती है। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने पर ही सहायता दी जाती है • राज्य सरकार 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दे सकती हैं, उससे अधिक राशि के लिए केंद्र की मंजूरी की जरूरत होती है।

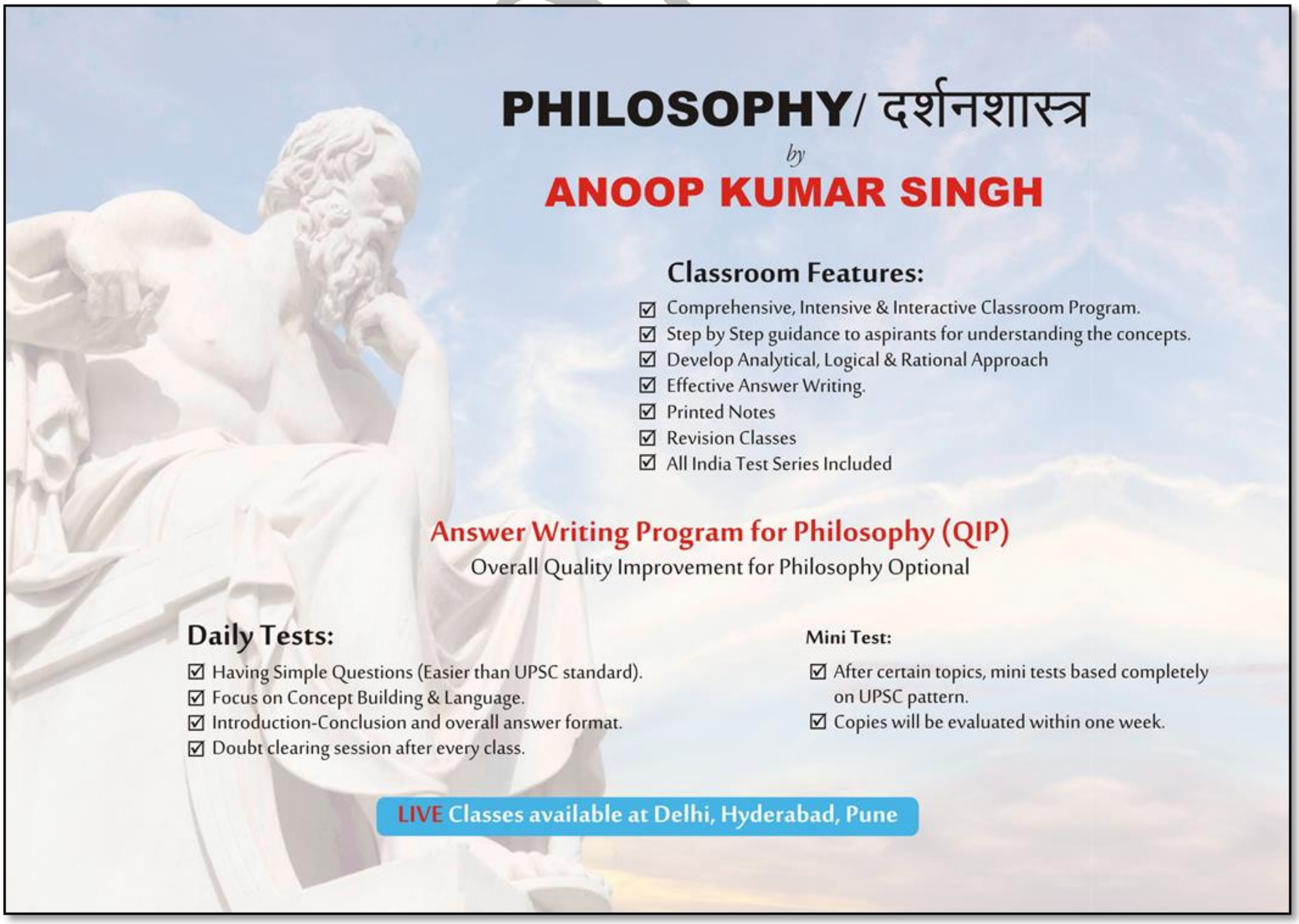

H. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

H.1. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(National Optical Fibre Network - Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। • प्रत्येक 2.5 लाख पंचायतों को 100 Mbps की एक न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान करना।	• भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 60 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को जोड़ेगा।	• डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पहल • एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनामी) विकसित करना। • हर ग्राम पंचायत को 100 Mbps बैंडविड्थ देना, इससे ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग, G2C, B2B, P2P, B2C, मौसम, कृषि और अन्य सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना।

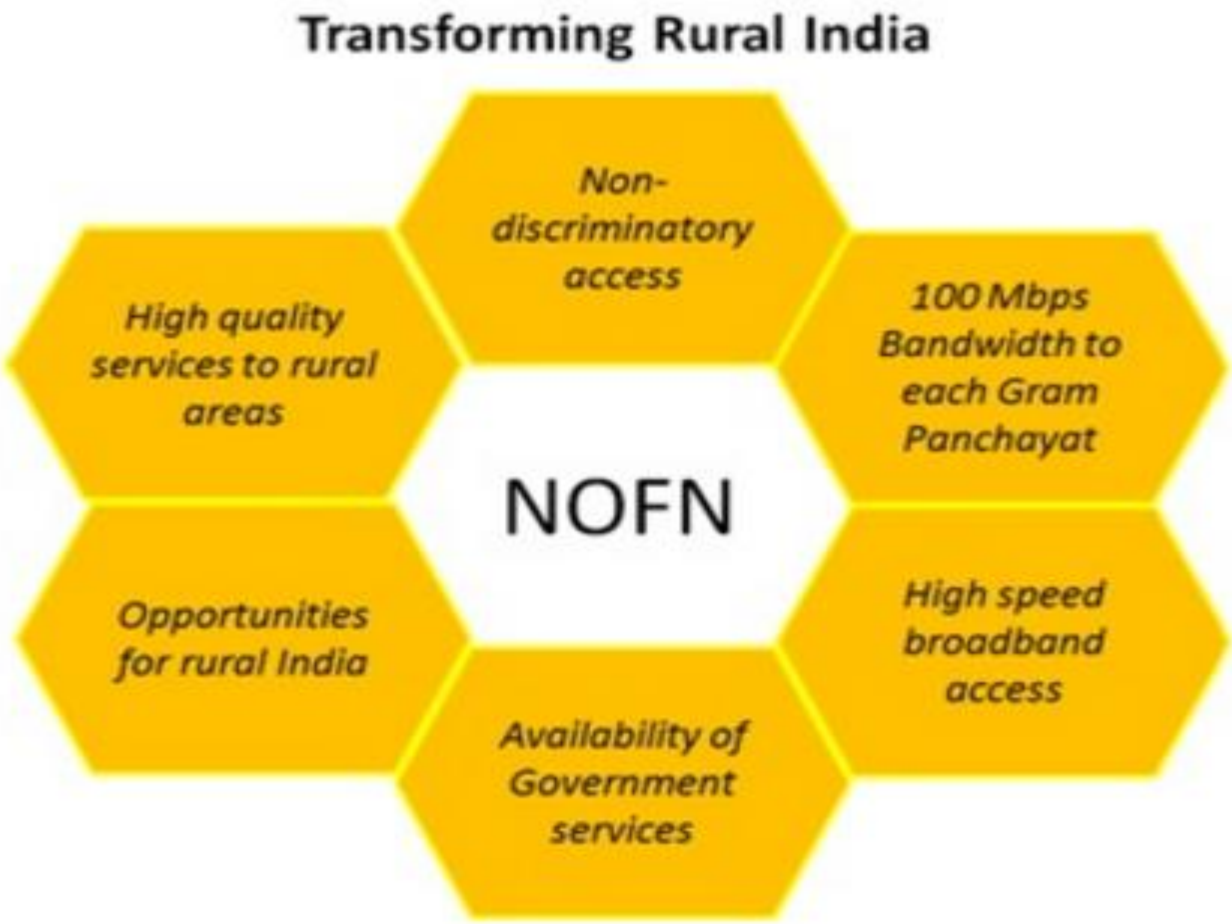

H.2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(National scholarships portal - Department Of Electronics & Information Technology)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• छात्र आवेदन, आवेदन प्राप्ति, प्रक्रिया, अनुमोदन और छात्रों तक विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण करने जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए सरलीकृत प्रक्रिया। • भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों के लिए एक मंच।	• छात्र • संस्थायें • राज्य सरकार के विभाग • केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग	**निम्न के लिए सरलीकृत प्रक्रिया:** • सभी छात्रवृत्तियों के लिए एक ही आवेदन प्रपत्र • पात्रता मानदंड के आधार पर छात्रों का एकबारगी पंजीकरण, • सिस्टम स्वत: ही उस स्कीम का सुझाव देगा जिसके तहत कोई छात्र छात्रवृत्ति के योग्य है **बेहतर पारदर्शिता** • डुप्लीकेट एप्लीकेशन से बचाव • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजना ○ छात्रवृत्ति की प्रक्रिया के हर कदम पर SMS और ई-मेल अलर्ट सेवा ○ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रुप में कार्य करता है क्योंकि मांग के आधार पर नवीनतम सूचना उपलब्ध होती है ○ मापनीय एवं व्यवस्थित मंच

H.3. जीवन प्रमाण- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(Jeevan Pramaan-Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
○ पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराना ○ जीवन प्रमाण पाने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाना	• पेंशन भोगी	• आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। • इस डिजिटल प्रमाणन से पेंशनभोगियों के लिए वह अनिवार्यता खत्म हो जाएगी जिसके तहत उन्हें हर वर्ष नवम्बर में स्वयं जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है, ताकि उनके खाते में पेंशन राशि आने का क्रम जारी रह सके। • डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से पेंशन भुगतान की प्रामाणिकता भी सुनिश्चित होगी।

VISION IAS

I. अन्य

I.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Bachao Beti Padhao)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• लैंगिक पूर्वाग्रह से युक्त लिंग चयनात्मक उन्मूलन(गर्भपात) को रोकना • बालिका शिशु के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना • बालिका शिशु की शिक्षा सुनिश्चित करना	• कन्या भ्रूण • नवजात कन्या • बालिका शिशु	• 100% केंद्रीय सहायता। • 2015 तक लगभग 50% नए कस्तूरबा गाँधी बाल विद्यालय चालू करना. • 24 जनवरी को बालिका शिशु दिवस मनाना • पंचायत गुड्डा-गुड्डी बोर्ड • निम्न बाल लिंग-अनुपात वाले 100 जिलों में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (PC&PNDT) अधिनियम का प्रवर्तन करना, जागरूकता और समर्थन अभियान तथा बहु-आयामी कार्रवाई करना। • बालिकाओं के लिए समानता और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सामाजिक एकजुटता और संचार अभियान। • जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण सक्षम बनाना। • सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक उप-घटक है। • संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के समग्र मार्गदर्शन और देखरेख में यह योजना लागू की जाएगी।

I.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(Stand up India scheme- Ministry of Commerce and Industry)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋणों की सुविधा प्रदान करते हुए जनसंख्या के वंचित तबके तक पहुंच बनाने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना • प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने (उद्यमियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए औसत रूप से एक) की सुविधा।	• अनुसूचित जाति और जनजाति पृष्ठभूमि के उद्यमी • महिला उद्यमी	• नये उद्यम स्थापित करने के लिए कार्यशील पूंजी घटक को सम्मिलित करके हुए 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक के बीच के संयुक्त ऋण। • कार्यशील पूंजी के आहरण के लिए रूपे डेबिट कार्ड • उधारकर्ता का ऋण इतिहास तैयार किया जाएगा। • 10 हजार करोड़ रुपये की प्रारंभिक

VISION IAS

		धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा। • NCGTC के माध्यम से ऋण गारंटी के लिए 5000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण। • ऋण पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण को सुविधाजनक बनाने, फैक्टरिंग और विपणन आदि के लिए सहायता के साथ ऋण लेने वाले को व्यापक सहयोग। • ऑन लाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिए वेब पोर्टल।

I.3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana- Ministry of Skill Development And Entrepreneurship)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ सॉफ्ट स्किल, व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। • 24 लाख नवयुवकों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य। जिनमें 14 लाख नए लोगों को प्रशिक्षण और 10 लाख लोगों को पूर्व शिक्षा की मान्यता के तहत प्रमाण पत्र • इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना	• कोई भी भारतीय जिसने एक योग्य प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा एक मान्यताप्राप्त क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की हो।	• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से कार्यान्वित। सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर कार्यान्वित किया जाये गा। • राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और उद्योग के मानकों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। • तीसरे पक्ष के आकलन और प्रमाणन के आधार पर प्रशिक्षुओं को मौद्रिक पुरस्कार (रिवॉर्ड) दिया जायेगा। • औसत मौद्रिक रिवॉर्ड प्रति प्रशिक्षु 8000 रूपए के आसपास रहेगा। • युवाओं को कौशल मेलों के जरिए एकत्रित किया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। • कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य को हाल के समय में शुरू अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की मांग से जोड़ा जायेगा, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन और स्वच्छ भारत अभियान।

VISION IAS

I.4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana- Ministry of Petroleum And Natural Gas)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	योजना की मुख्य विशेषताएं और सम्बंधित मुद्दे
• BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना	• कोई भी BPL परिवार जिनकी सूचना राज्य सरकार द्वारा निर्मित जिला BPLसूची में शामिल है	• BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता। • रसोई गैस (एलपीजी) तक गरीबों की पहुँच सीमित है। • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार अकेले भारत में लगभग करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु खाना पकाने के ईंधन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के कारण हुई है। • इनमें से अधिकांश असामयिक मौतें हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़े के रोग और फेफड़े के कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों के कारण हुई थीं। घर के अंदर की प्रदूषित वायु छोटे बच्चों में श्वसन बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के मुताबिक, रसोई घर में चूल्हे में आग जलाना हर घंटे 400 सिगरेट जलाने की तरह है।

I.5. वन अधिकार अधिनियम 2006 - जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित

(Forest Rights Act, 2006- Implemented by Ministry Of Tribal Affairs)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• लाभार्थियों के वन अधिकार को मान्यता प्रदान करना • 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार देना	• जंगल निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी	• जंगल निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार दिए गए • इस कानून को एक "कैम्पेन मोड" में लागू किया गया और राज्यों को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को वन अधिकार सौंपने और मान्यता देने की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु विस्तृत मंत्रणा प्रदान की गयी • ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति • परस्पर विरोधी दावों पर ग्राम सभा, उप संभागीय स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय
वन अधिकार • जंगलवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों द्वारा निवास या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन-भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार		

VISION IAS

• वन संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार जिसमें स्वामित्व अधिकार के साथ गौण वनोपज के संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार शामिल है • निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार; • आदिम जनजातीय समूहों और ऐसे समुदायों जिन्हें अभी तक कृषि कार्य का ज्ञान नहीं है को आवास अधिकार; • ऐसे सामुदायिक वन संसाधन को संरक्षित, पुनर्जीवित या प्रबंधित करने का अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से रक्षा और संरक्षण कर रहे हैं।

I.6. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना - श्रम और रोजगार मंत्रालय

(National Child Labour Project - Ministry Of Labour and Employment)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• काम से छुड़ाए गए बच्चों का पुनर्वास • बाल श्रम से सम्बंधित कानूनों का प्रवर्तन और बच्चों के अधिकारों की रक्षा	• बच्चे, जो बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं	• इस परियोजना के अंतर्गत काम से हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है, जहाँ उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । • जिला स्तर पर प्रोजेक्ट सोसाइटी बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल/ पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए पूर्णत: वित्त-पोषित हैं। • बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना • बालकों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम उन्मूलन को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ना।

VISION IAS

J. विविध कार्यक्रम

J.1. प्रगति (PRAGATI) – PMO

Pro-Active Governance And Timely Implementation)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रोएक्टिव गवर्नेंस तथा समयबद्ध कार्यान्वयन का वातावरण निर्मित करना • इसका उद्देश्य आम जन की शिकायतों का समाधान करना और साथ-साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाओं तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।	• बेहतर शासन के कारण आम लोग और • बेहतर कार्यान्वयन के कारण विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभार्थी • नागरिक (जिन्हें कोई सार्वजनिक शिकायत है)	• एक बहु उद्देशीय एवं मल्टी-मोडल प्लेटफार्म • 'प्रगति' प्लेटफार्म विशेष रूप से तीन नवीनतम तकनीकों का एक साथ प्रयोग करता है : • डिजिटल डेटा प्रबंधन, • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और • भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी. • एक तीन स्तरीय प्रणाली : यह सहकारी संघवाद की दिशा में भी एक अद्वितीय पहल करता है, क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है. • प्रधानमंत्री मासिक कार्यक्रम में डाटा तथा भू-सूचना विज्ञान विजुअल सक्षम वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए भारत सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ संवाद करेंगे।

J.2. अटल नवोन्मेष मिशन – नीति आयोग

(Atal Innovation Mission-Niti Aayog)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश में इनोवेशन वातावरण को पर्याप्त बढ़ावा देने और उद्द्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करने हेतु • भारत में इनोवेशन और R&D को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षाविदों, उद्यमियों, और शोधकर्ताओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वह अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को साझा कर सके • यह मंच विश्व स्तरीय अभिनव केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना, बड़ी चुनौतियों का समाधान, स्टार्टअप व्यवसाय और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा, विशेष रूप प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में।	• स्टार्टअप उद्यमी • खोजकर्ता • गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमी • सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था (R&D में सुधार होने से)	• AIM एवं SETU (सेतु) के लिए प्रारम्भिक धन क्रमशः 500 करोड़ रु एवं 1000 करोड़ रु है • युवा स्टार्ट-अप और अन्य स्व-रोजगार प्रौद्योगिकी पर आधारित विचारों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग(सेतु) एक तकनीकी-वित्तीय, ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन) और सरलीकरण (फेसिलिटेशन) कार्यक्रम है • सेतु का लक्ष्य स्टार्टअप के द्वारा लगभग 100,000 रोजगार पैदा करना है • इनोवेशन कार्यक्रम: एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ नये विचार पैदा हो सकें

VISION IAS

J.3. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)- ऊर्जा मंत्रालय

[UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) - Ministry of Power]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• उदय का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना, • समस्या का एक टिकाऊ और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना। • दीर्घ काल में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 बिजली।	• डिस्कॉम • सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र • नवीकरणीय खरीद दायित्वों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।	• 2018-19 तक सभी वितरण कंपनियों को लाभदायक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। • यह चार पहलों से होगा (i) डिस्कॉमों की परिचालन क्षमता में सुधार; (ii) ऊर्जा की लगत में कमी करना; (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कटौती करना; (iv)राज्य वित्त के समान डिस्कॉमों में भी वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए। • राज्यों को 30 सितम्बर 2015 से 2 वर्षों में डिस्कॉम का 75% ऋण स्वयं चुकाना चाहिए जैसे 50% 2015-2016 में एवं 25% 2016-17 में • भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे (FRBM के लिए) की गणना में उपरोक्त योजना के अनुसार राज्यों द्वारा उठाए गए ऋण शामिल नहीं करेगी । • राज्य बाजार में या सीधे संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थानों (जिनका डिस्कॉम पर कर्ज है) को SDL सहित गैर –SLR बांड जारी करेंगे। • डिस्कॉम का जो ऋण राज्य नहीं चुकायेंगे उसे बैंक / FIs लोन या बांड में परिवर्तित कर देंगे

J.4. नई मंजिल योजना – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(Nai Manzil Scheme -- Ministry of Minority Affairs)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं नये उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराना।	• स्कूल से बाहर सभी छात्र / ड्रॉप आउट छात्र और मदरसों में पढ़ने वाले छात्र। क्योंकि ऐसे छात्र औपचारिक कक्षा 12 एवं कक्षा 10 के प्रमाणपत्रों के अभाव में संगठित क्षेत्र के रोजगार से वंचित रह जाते है। • यह योजना मदरसा छात्रों के साथ-साथ सभी अल्पसंख्यक समुदायों के 17-35 वर्ष के आयु समूह के लोगों को कवर करेगी।	• यह योजना प्रशिक्षुओ को 'सेतु पाठ्यक्रम' (**'bridge courses'**)उपलब्ध करवाएगी एवं उन्हें 'दूरस्थ माध्यम' शिक्षा प्रणाली' के द्वारा कक्षा 12 एवं 10 के प्रमाणपत्र देगी और साथ ही उन्हें चार कोर्सो में व्यापार आधारित प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी – विनिर्माण, इंजीनियरिंग, सेवाएं एवं सॉफ्ट स्किल • · यह योजना उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करेगी और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगी

VISION IAS

J.5. इंस्पायर (INSPIRE)- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MOS&T)

(Innovation In Science Pursuit For Inspired Research)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रतिभा को विज्ञान की तरफ आकर्षित करना - • विज्ञान के रचनात्मक अनुसरण के रोमांच को देश के युवाओं तक पहुँचाना, कम उम्र में विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करना और इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीक प्रणाली व R&D आधार को मजबूत एवं विस्तृत करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना।	• युवा बच्चों को विकसित और कुशल वैज्ञानिक मानव संसाधन में परिवर्तित करना • देश में R&D की नींव को मजबूत करना	• यह किसी भी स्तर पर प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में विश्वास नहीं करता। यह प्रतिभा की पहचान के लिए मौजूदा शैक्षिक संरचना की प्रभावकारिता पर विश्वास रखता है • INSPIRE के तीन घटक है : i. प्रतिभा के आरंभिक आकर्षण के लिए योजना (SEATS) ii उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (SHE) iii. अनुसंधान कॅरिअर के लिए सुनिश्चित अवसर (AORC)

J.6. वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष- वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रस्तावित

(Senior Citizen Welfare Fund – Proposed by FM during Budget)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• एकमात्र मकसद वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है।	• वृद्ध पेंशनर • BPL जनसंख्या और सीमांत किसान	• सात वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों का धन (PPF में पड़े लगभग 3,000 करोड़ रु और EPF कोष में पड़े लगभग 6,000 करोड़ रु) इस कोष में हस्तांतरित किया जायेगा। • वृद्ध पेंशनरों, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी और सीमांत किसानों को प्रीमियम में सब्सिडी के रूप में बड़ा लाभ मिलेगा।

J.7. प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय

(Project Mausam – Ministry of Culture)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 'परियोजना Mausam' का उद्देश्य हिंद महासागर के 39 देशों के साथ पार सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना और ऐतिहासिक समुद्री, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करना है। • वृहत् स्तर पर इसका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच संचार सम्बन्धों की पुनर्स्थापना करना है जिससे	• सांस्कृतिक संवर्धन से हिंद महासागर के 39 देशों के लोगों के मध्य मित्रता तथा वाणिज्यिक एवं धार्मिक • आदान-प्रदान को	• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नोडल एजेंसी के रूप में इसे लागू करेगा। • ASI को सहयोगी निकायों के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (IGNCA) और राष्ट्रीय संग्रहालय से अनुसंधान सहायता मिलेगी। • सरकार ने विश्व विरासत के लिए पार-राष्ट्रीय नामांकन हेतु 39 देशों की,उन्हें एक साथ लाने

VISION IAS

सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों की समझ बेहतर हो। वहीं सूक्ष्म स्तर पर इसका ध्यान राष्ट्रीय संस्कृति को उनके क्षेत्रीय समुद्री परिवेश में समझना है।	बढ़ावा मिलेगा।	हेतु पहचान की है । • पूर्वी अफ्रीका से लेकर अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपसमूह तक फैले बहुआयामी हिन्द महासागर में होने वाले सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक आदान-प्रदान की विविधता के प्रमाण के लिए पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान का मिलान करना। • भारतीय नौसेना के नौवहन प्रशिक्षण पोत तरंगिनी और ओमान की रॉयल नौसेना ओमान नौवहन प्रशिक्षण पोत शबाब द्वारा राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष के उपलक्ष्य में • 24 नवंबर से 03 दिसंबर, 2015 तक एक संयुक्त नौवहन यात्रा आयोजित की गयी।

J.8. सेतु भारतम – सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(Setu Bharatam-Ministry of Road, Transport and Highway)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और सहज यात्रा के लिए पुलों का विकास • 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना	• राष्ट्र और अर्थव्यवस्था - अवसंरचना नेटवर्क एक राष्ट्र के विकास एवं संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।	• यह लेवल क्रासिंग पर लगातार दुर्घटनाओं और जीवन के नुकसान को रोकने के लिए किया जा रहा है। • कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 20,800 करोड़ रु. की लागत से लेवल क्रासिंग पर 208 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) / रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) बनाये जायेंगे । • 30,000 करोड़ रु की लागत से लगभग 1500 जर्जर पुलों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित / चौड़ा करके / मजबूत करके इनमें सुधार किया जायेगा।

J.9. सागरमाला- पोत परिवहन मंत्रालय

(Sagarmala-Ministry of Shipping)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें आधुनिकीकरण द्वारा कुशल बनाने के लिए • बंदरगाहों से माल को शीघ्रता से और कम लागत में लाने एवं ले जाने के लिए बेहतर अवसरंचना प्रदान करना • सागरमाला परियोजना का उद्देश्य	• बंदरगाह और बंदरगाह क्षेत्र में शामिल श्रमिक • CEZs के रूप में विकसित होने वाले तटीय क्षेत्रों की	• सागरमाला पहल में विकास के तीन स्तंभों पर ध्यान दिया जाएगा • बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना और उसे सक्षम बनाना • आधुनिकीकरण सहित बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का विस्तार और नए बंदरगाहों की स्थापना • बंदरगाहों से भीतरी प्रदेश के लिए और वहां से

VISION IAS

इंटरमॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना तथा श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना और मुख्य आर्थिक केन्द्रों तक संपर्क सुधारना है।	• जनसंख्या • परिवहन क्षेत्र के रोजगार • राष्ट्र (निर्यात में वृद्दि से देश की आर्थिक वृद्दि दर में सुधार होगा)	बंदरगाहों तक माल लाने के काम में दक्षता लाना। • सागरमाला के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के साथ सम्पूर्ण तटरेखा के लिए एक समेकित योजना बनायी जा रही है जो संभावना युक्त भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करेगी जिसे तटीय आर्थिक क्षेत्र(CEZs) कहा जायेगा • NPP योजनागत औद्योगिक कोरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, औद्योगिक समूहों और सेज के साथ तालमेल और एकीकरण सुनिश्चित करेगा। • इसके अलावा यह योजना तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) में रहने वाली आबादी का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है। • · राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) समग्र नीति मार्गदर्शन और उच्च स्तर के समन्वय के लिए बनायी गई है।

इस से जुड़ा अन्य कार्यक्रम 'परियोजना सेतुसमुद्रम' है जिसका उद्देश्य मन्नार की खाड़ी के साथ पाक खाड़ी को जोड़ना और इसके माध्यम से समुद्री व्यापार की सुविधा का विकास करना है।

K. रिपोर्ट/ सूचकांक

K.1. ‘एल्डरली इन इंडिया 2016’ - सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट

(Elderly In India 2016' Report By Ministry Of Statistics And Programme Implementation)

सारांश :

- बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी और आकार दोनों समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यह अनुपात 1961 में 5.6% से बढ़कर 2011 में 8.6% तक पहुँच गया था।
- ग्रामीण - शहरी:
  - ✓ बुजुर्ग आबादी का 71% गाँवों में रहता है जबकि 29% शहरों में रहता है।
  - ✓ ग्रामीण क्षेत्र में, बुजुर्ग पुरुषों का 66 प्रतिशत और बुजुर्ग महिलाओं का 28 प्रतिशत कार्यरत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बुजुर्ग पुरुषों का केवल 46 प्रतिशत एवं बुजुर्ग महिलाओं का लगभग11 प्रतिशत भाग कार्यरत है।
- रोग संवेदनशीलता / विकलांगता:
  - ✓ बुजुर्ग आबादी में हृदय रोगों का प्रसार ग्रामीण भागों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा था।
  - ✓ बुजुर्ग पुरुषों में मूत्र संबंधी समस्या अधिक थी जबकि बुजुर्ग महिलाएं जोड़ों की समस्या से अधिक ग्रस्त थीं।
  - ✓ जनगणना 2011 के अनुसार बुजुर्ग लोगों में सर्वाधिक आम विकलांगता चलने फिरने संबंधी एवं दृष्टि सम्बंधित थी।
- बुजुर्ग लोगों के बीच लिंग अनुपात 2011 में 1033 था।
- पूरे भारत के लिए वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 1961 में 10.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 14.2 प्रतिशत हो गया।
- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2009-13 के दौरान पुरुषों के लिए 65.8 साल थी जबकि महिलाओं के लिए 69.3 साल थी।
- बुजुर्ग व्यक्तियों में साक्षरता का प्रतिशत 1991 में 27% से बढ़कर 2011 में 44% हो गया। बुजुर्ग महिलाओं में साक्षरता दर (28%) बुजुर्ग पुरुषों की साक्षरता दर (59%) के आधे से भी कम है।

K.2. लैंगिक समता सूचकांक (GPI)

(Gender parity index)

- लैंगिक समानता सूचकांक आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा तक सापेक्ष पहुँच मापने के लिए बनाया गया है। यह सूचकांक यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है।
- शिक्षा के मानदंड के आधार पर GPI की गणना : किसी शैक्षणिक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, आदि) पर नामांकित महिलाओं की संख्या में पुरुषों की सख्या का भाग देकर इसकी गणना की जाती है। यह विधि किसी भी मान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लायी जा सकती है।
- मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ‘समता की शक्ति: भारत में बढ़ती महिला समता’ में भारत का वैश्विक लैंगिक समता स्कोर या GPS 0.48 है, जहां आदर्श स्कोर 1 है।
- भारत का स्कोर “अत्यंत उच्च” लैंगिक असमानता को दर्शाता है जो पश्चिमी यूरोप के स्कोर 0.71 और उत्तरी अमेरिका एवं ओशेनिया के स्कोर 0.74 की तुलना में बहुत कम है।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर और महिलाओं की सक्रिय कार्यबल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर के भारत अपने GDP में 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि कर सकता है जिससे जीडीपी क्रमबद्ध रूप से 1.4% तक बढाई जा सकती है
- लैंगिक समानता के मामले में भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे पांच राज्यों- मिजोरम, केरल, मेघालय, गोवा और सिक्किम- के औसत FEMDEX स्कोर 0.67 की तुलना केवल चीन एवं इंडोनेशिया के GPS से ही की जा सकती है।

VISION IAS

INDIA AND THE WORLD

India trails far behind both China and Western Europe

	Western Europe	China	India
GENDER EQUALITY AT WORK			
Labour force participation (Female/Male ratio)	0.792	0.817	0.338
Unpaid care work (Male/Female ratio)	0.482	0.389	0.102
GENDER EQUALITY IN SOCIETY			
Maternal mortality per 100,000 births	6	32	190
Education level (Female/Male ratio)	0.997	0.973	0.763
LEGAL PROTECTION AND POLITICAL VOICE			
Legal protection index	0.771	0.583	0.399
Political representation (Female/Male ratio)	0.486	0.191	0.114
PHYSICAL SECURITY AND AUTONOMY			
Child marriage (%age of girls)	1	2	27
Violence against women (%age of women)	22	15	37

SOURCE: MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE REPORT 'THE POWER OF PARITY: ADVANCING WOMEN'S EQUALITY IN INDIA', NOVEMBER 2015

K.3. लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) - UNDP

(Gender inequality index)

सारांश :

- GII संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा सन 2010 की मानव विकास रिपोर्ट की 20 वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित संस्करण में जारी किया गया।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) लैंगिक अंतर (disparity) के मापन का सूचकांक है**
- GII एक संयुक्त मापक है जो लिंग असमानता की वजह से देश के भीतर हिल की जा सकने वाली उपलब्धियों की हानि को दर्शाता है।
- सूचकांक के परिकलन के लिए तीन आयामों का उपयोग किया गया है:
  - महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य (मातृ मृत्यु दर + किशोरियों में प्रजनन दर),
  - सशक्तिकरण (महिलाओं द्वारा अधिग्रहित संसदीय सीटों की संख्या + माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 25 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत पर आधारित)
  - आर्थिक स्थिति (श्रम बल में भागीदारी)
- पिछले संकेतकों- **लैंगिक विकास सूचकांक (GDI)** और **लैंगिक सशक्तिकरण उपाय (GEM)** की कमियों को दूर करने के लिए निर्मित।
- पूरे दक्षिण एशिया में, केवल युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान की भारत की तुलना में खराब रैंकिंग है।
- भारत GII में 155 देशों में से **130वें** स्थान पर है।
- भारत में विधायिका में महज 12.2% महिला सदस्य हैं जबकि महिला अधिकारों के उल्लंघन के मामले में शीर्ष पर स्थित देश अफगानिस्तान में यह प्रतिशत 27.6% है।
- भारत में श्रम बल में भागीदारी की दर महिलाओं के लिए महज 27% है जबकि पुरुषों के लिए 79.9% है।

K.4. बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI) - UNDP

(Multidimensional Poverty Index)

Dimension	Indicators
Health	• Child mortality • Nutrition
Education	• Years of schooling • School attendance
Living standards	• Cooking fuel • Toilet • Water • Electricity • Floor • Assets

यह है क्या ?

यह अत्यधिक गरीबी को मापने का एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है जो 100 से ज्यादा विकासशील देशों को कवर करता है।

MPI व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी का आकलन करता है।

MPI के तहत ग़रीब (या बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित) कौन है?

यदि कोई दस में से एक तिहाई या उससे अधिक (भारित) संकेतकों के आधार पर वंचित की श्रेणी में आता है तो **तो** वैश्विक सूचकांक उन्हें 'MPI निर्धन/ग़रीब' के रूप में दिखाता है, और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली गरीबी की मात्रा या तीव्रता का आकलन उनकी द्वारा झेली जा रही वंचनाओं के आधार किया करता है।

K.5. मानव विकास सूचकांक (HDI) - UNDP

(Human Development Index)

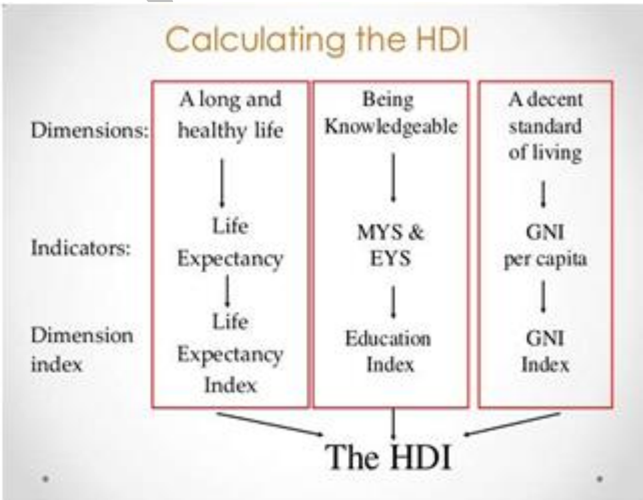

यह है क्या?

HDI एक समग्र सूचकांक है जो विभिन्न देशों को मानव विकास के चार स्तरों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है।

- यह मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों पर दीर्घ काल में होने वाली प्रगति का आकलन करने हेतु संक्षिप्त उपाय है। यह तीन आयाम हैं- एक लम्बा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और एक संतोषजनक जीवन स्तर।

VISION IAS

भारत की स्थिति ?

- भारत का स्थान मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। देश पूर्व की भांति मानव विकास सूचकांक में निम्न रैंक पर ही रहा है, लेकिन जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण नवीनतम UNDP की रिपोर्ट में पांच स्थान के सुधार के साथ 130वें स्थान तक पहुँच गया है।
- 1980 और 2014 के बीच भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.362 से बढ़कर 0.609 तक पहुँच गया है, अर्थात् इसमें 68.1% की वृद्धि हुई है।
- हालाँकि स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष 2011 से ही 11.7 पर स्थिर हैं और स्कूलिंग के माध्य वर्ष भी 2010 से 5.4 पर स्थिर हैं।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा :** यह 2013 में 67.6 वर्ष से बढ़कर 2014 में 68 वर्ष हो गयी, जो कि 1980 में 53.9 वर्ष थी।
- **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI):** यह 2014 में 5,497 अमेरिकी डॉलर थी।
- **लैंगिक विकास सूचकांक (GDI):** महिला मानव विकास सूचकांक मूल्य / पुरुष मानव विकास सूचकांक मूल्य
- रिपोर्ट में भारत के GDI के बारे में कहा गया है कि 2014 में भारत में महिला HDI मूल्य केवल 0.525 है जबकि पुरुष HDI मूल्य 0.66 है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 का GDI मूल्य 0.795 है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
CSE 2013
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
CSE 2014
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog